राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 952वी बैठक दिनांक 18.06.2026 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 952वी बैठक दिनांक 18.06.2026 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. सुधीर कुमार कोचर, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	P2/570/2024	1(a)	इन्दौर	पत्थर एवं मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
2.	P2/1052/2025	1(a)	मंदसौर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
3.	P2/1077/2025	1(a)	कटनी	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
4.	P2/1108/2025	1(a)	देवास	मार्बल पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
5.	P2/1675/2025	7(da)	छतरपुर	बायोमेडिकल वेस्ट	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
6.	P2/2144/2025	1(a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
7.	P2/2103/2025	1(a)	टीकमगढ़	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
8.	P2/2256/2026	1(a)	शिवपुरी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
9.	6847/2020	1(a)	उमरिया	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण अनुशंसित नहीं	निरस्त
10.	P2/2378/2026	1(a)	बड़वानी	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
11.	P2/1195/2025	1(a)	छतरपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
12.	P2/2379/2026	1(a)	शिवपुरी	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित

18/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

18/6/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 952वी बैठक दिनांक 18.06.2026 का कार्यवाही विवरण

13.	P2/2380/2026	1(a)	शिवपुरी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
14.	P2/1778/2025	1(a)	सिवनी	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
15.	P2/1096/2025	1(a)	टीकमगढ	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।

18/6/26

(सुधीर कुमार **कोचर**)
सदस्य **सचिव**

18/6/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

18.06.26

(**शिव** नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 952वी बैठक दिनांक 18.06.2026 का कार्यवाही विवरण

1. **Proposal No.SIA/MP/MIN/547160/2025 Case No.P2/570/2024Prior Environment Clearance for Murrum & Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 4.0 Ha., for Production Capacity of Gitti 20,000 cum/year, M-Sand 56,000 cum/year and Murrum 7,500 cum/year, at Khasra No. – 420/1/1, Village – Akawi Tehsil- Mhow, District- Indore (M.P.) by M/s. Tirumala Traders, Partner Shri Pankaj Mishra, Owner, R/o- Manak Chowk Mhow District- Indore State- M.P.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **881वी बैठक दिनांक 02.04.2026 एवं 852वी बैठक दिनांक 13.12.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 881वी बैठक दिनांक 02.04.2026 एवं 852वी बैठक दिनांक 13.12.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इन्दौर द्वारा पत्र क्र. 1229 दिनांक 09.06. 2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 08.06.2033 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **इण्डस्ट्रीयल शेड से न्यूनतम 200 मीटर तकनो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।**

18/6/26 18/6/26 18.06.26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(vi) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP)का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMPकोEIAके निष्कर्षो के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMPके प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यो को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर ClusterEMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।

18/6/26	18/6/26	
(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय स्कूल में जिला कलेक्टर्स से परामर्श कर आवश्यकतानुसार सामग्री अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना **प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को** सूचित किया **जाये।**

18/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**
18/6/26		

2. **Proposal No. SIA/MP/MIN/560429/2025 Case No. P2/1052/2025Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 ha., for Production Capacity of Stone 15,000 m³/year & Saleable overburden 7,895 m³/year, at Khasra No. 289/min-34, at Village- Digaonmali, Tehsil Mandsaur, District- Mandsaur (M.P.) by Smt. Radha Dingor, Lessee, R/o-Village Digmawali, Tehsil- Mandsaur, District- Mandsaur (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **881वी बैठक दिनांक 02.04.2026**में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. प्रश्नाधीन प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड किये गये दस्तावेजों के साथ संलग्न पर्यावरण सलाहकार के शपथ पत्र में परियोजना प्रस्तावक के हस्ताक्षर नहीं है। जो कि प्राधिकरण द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 13.10.2021 का उल्लघंन है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा बहुमत से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक द्वारा Original हस्ताक्षरित नवीन शपथ पत्र 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(सुधीर कुमार कोचर) **सदस्य सचिव** 18/6/26	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य** 18/6/26	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

3. **Proposal No.SIA/MP/MIN/545607/2026, Case No. P2/1077/2025Prior Environment Clearance for Dolomite Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 4.26 ha., for production capacity of Dolomite-1,05,281 Tons per Annum & Lateritic Soil-13,923 Tons per Annum, at Khasra No .350, 351/2, 367, Village- Bachhauli, TehsilBadwara, District- Katni (MP) by Shri Nitin Sharma, Partner, Shri Tirupati Balaji Minerals, Aajad Chowk, Gatarghat, Katni (MP)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **881वी बैठक दिनांक 02.04.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 881वी बैठक दिनांक 02.04.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश क्र. 14504-05 दिनांक 21.10.2022 के माध्यम से 30 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 20.10.2052 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तकनो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक **राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।**

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(v) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMPके प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर ClusterEMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाये।

18/6/26 18/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय स्कूल में जिला कलेक्टर्स से परामर्श कर आवश्यकतानुसार सामग्री अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावेगी।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।

- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

18/6/26 18/6/26

(सुधीर कुमार कोचर) ~~सदस्य~~ **सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

4. **Proposal No.SIA/MP/MIN/565905/2026Case No.P2/1108/2025Prior Environment Clearance for Marble Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 4.0 Ha., for production capacity of 5,000 cubic meters per year, at Khasra – 43, Village – Polakhal Tehsil - Uday Nagar, District – Dewas (M.P) by Shri Khalil Ahmad, Partner, Reliable Marble Stone, 21, Khajrana Palace Colony, Khajrana, District- Indore (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **882वी बैठक दिनांक 08.04.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 882वी बैठक दिनांक 08.04.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास द्वारा आदेश क्र. 1978 दिनांक 07.10. 2023 के माध्यम से 30 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 06.10.2053 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **लीज क्षेत्र के अंदर स्थित प्राकृतिक नाले से दोनो ओर न्यूनतम 50–50 मीटर एवं आबादी से न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नही जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खाते में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(vii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMPके प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर ClusterEMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

18/6/26	18/6/26	
(सुधीर कुमार कोचर) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(xi) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।**

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय स्कूल में जिला कलेक्टर्स से परामर्श कर आवश्यकतानुसार सामग्री अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव 18/6/26	सदस्य 18/6/26	अध्यक्ष

5. **Proposal No. SIA/MP/INFRA2/565734/2026; Case No. – P2/1675/2025; Prior Environment Clearance for Common Bio-Medical Waste Treatment Facility at Survey No.- 1254, Village - Kalani, Tehsil & District - Chhatarpur (Madhya Pradesh) Proposed by M/s Vaishnavi Enviro Care. Product & Capacity: Incinerator- 250 kg/hr. (250 kg/hr.+ 250kg/hr. as stand by), Autoclave - 1000 liter/batch (1 no.) , Shredder - 200 kg/hr. (1 no.) by Smt. Pramila Sharma, Director, M/s Vaishnavi Enviro Care, House No. 85 Vinay Grah, Nirman Society Hoshangabad Road, Jatkhedi, Tehsil – Huzur, Distt. – Bhopal (M.P.) - 462026.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 882वी बैठक दिनांक 08.04.2025 में निर्धारित शर्तों के अधीन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) प्रदान करने की अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा TSDF के माध्यम से अपशिष्ट निपटान बताया गया है। अतः अधिकृत TSDF के साथ निष्पादित Agreement/MoU की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा Solid Waste Disposal एवं Extra treated waste water की सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्राप्त कर प्रस्तुत की जाये।
3. Corporate Environmental Responsibility (CER) के अंतर्गत प्रस्तुत जानकारी संक्षिप्त है अतः CER गतिविधियों का विस्तृत विवरण, स्वीकृत बजट/आवंटित राशि, कार्य योजना तथा श्रमिकों/स्थानीय समुदाय को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का विवरण प्रस्तुत किया जाए।
4. Emergency Mitigation Plan प्रस्तुत नहीं है अतः श्रमिकों की सुरक्षा सहित आपातकालीन प्रबंधन योजना प्रस्तुत की जाए।
5. CBMWTF Site में किए जाने वाले वृक्षारोपण की जानकारी पर्याप्त नहीं है अतः प्रस्तावित Plantation area, पौधों की संख्या, प्रजाति (species), स्थान एवं plantation plan सहित विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए।
6. प्रस्तुत शिकायत के संबंध में पूर्व में EC प्राप्त CBMWTF (M/s Indo Tech Waste Solutions, जिला टीकमगढ़) की वर्तमान स्थिति, प्रस्तावित संचालन अवधि, स्वीकृत क्षमता एवं coverage area का परीक्षण कर, CPCB Guidelines के अनुसार MPPCB द्वारा स्पष्ट अभिमत प्रस्तुत किया जाए कि उक्त निर्धारित coverage area (75 km service radius) के अंतर्गत नवीन द्वितीय CBMWTF unit की आवश्यकता है अथवा नहीं।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्ष उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु क्रं. 1 से 4 तक की जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त कर एवं CPCB Guidelines में उल्लेखित दिषा निर्देषों के परिपालन में परीक्षण/अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

18/6/26 18/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

6. Proposal No. SIA/MP/MIN/536776/2025, Case No. P2/2144/2025, Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.0 ha., for production capacity of Stone (Gitti) 5000 Cu.mt/ Year & M-Sand 5,000 Cu.mt/Year, at Khasra No.- - 145, Village: - Runija, TehsilBadnagar, District: -Ujjain (M.P) by Shri Chhogalal Solanki, Lessee, R/o- Maswadiyadhar, Tehsil-Badnagar, District-Ujjain (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **882वी बैठक दिनांक 08.04.2026 एवं 858वी बैठक दिनांक 08.01.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. प्रश्नाधीन प्रकरण में गूगल ईमेज अनुसार लीज क्षेत्र पूर्व से खुदा हुआ परिलक्षित है जिसके संबंध में SEAC ने अपने कार्यवाही विवरण में उल्लेख किया है कि "उक्त क्षेत्र में से पूर्व में रोड़ कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा मुरूम निकाली गई थी जिसके परिणाम स्वरूप उक्त क्षेत्र खुदा हुआ है" किन्तु उक्त लीज क्षेत्र में जिस कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा मुरूम निकाली गई है क्या उसके द्वारा पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है अथवा बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के मुरूम का उत्खनन किया गया है के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
2. SEAC द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक व पर्यावरण सलाहकार द्वारा जो PPT प्रस्तुत किया जाता है उसकी प्रति प्राधिकरण में भी उपलब्ध कराई जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा बहुमत से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

18/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

7. **Proposal No.SIA/MP/MIN/549451/2025, Case No. P2/2103/2025Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.8 ha., for production capacity of 40000 cum per annum, at Khasra No.1855, Village-Astaun Khas Tehsil- Tikamgarh District Tikamgarh (M.P.) by Shri Mamta Jain, lessee, R/o- Ward No-12, Pradhanpura Muhila, District Tikamgarh(M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 882वी बैठक दिनांक 08.04.2026 एवं 854वी बैठक दिनांक 18.12.2025 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

New techniques for mining operation has come for excavation than can work in hard rock breaking and there environmental impacts are mininmal. The mines in surrounding area are operational with blasting mining plan approved.

The reply of the consultant do not resolve the basic question about the mining activity in hard strata for which blasting was proposed initially and accordingly mining plan was approved by competent authority. On examination of sensitivity in the visionity of proposed mine the norms applicable for permitting blasting do hardly spare anymore mineable area. Knowing the fact of environmental sensitive reason the mine plan is revised with non blasting method do not seem justified as the surrounding mines are working with blasting on similar geological formation.

In view of above facts the committee standby SEAC 854th meeting dated 18.12.2025 where in the case was not recommended for grant of EC.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया गया कि नॉन ब्लास्टिंग के अनुमोदित खनन योजना के आधार पर SEAC द्वारा नॉन ब्लास्टिंग के साथ पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा अनेक प्रकरणों में की गई जिसके आधार पर प्राधिकरण द्वारा भी नॉन ब्लास्टिंग की शर्त के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रश्नाधीन प्रकरण में भी परियोजना प्रस्तावक द्वारा नॉन ब्लास्टिंग की अनुमोदित खनन योजना प्रस्तुत की गई इसके उपरांत भी SEAC द्वारा प्रकरण को पुनः निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरणों में एक समान निर्णय लिये जाने हेतु प्रश्नाधीन प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

18/6/26 18/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

8. **Proposal No. SIA/MP/MIN/562787/2026, Case No. P2/2256/2026Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.0 hectare, for production capacity of 62000 Cubic meter/year (Stone (Gitti) 30,000 m3/year, M-sand 30,000 m3/year and Boulder 2,000 cum/year), at Khasra No. - 1090, Village - Sillarpur, Tehsil - Karera, District - Shivpuri (M.P.) by Shri Balram Jatav, Lessee, R/o- ward no. 07, Near Girls Hostal Karera, District - Shivpuri (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **882वी बैठक दिनांक 08.04.2026 एवं 871वी बैठक दिनांक 19.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 882वी बैठक दिनांक 08.04.2026 एवं 871वी बैठक दिनांक 19.02.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास द्वारा आदेश क्र. 396/24 दिनांक 23.06.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 22.06.2035 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **आबादी (मानव बसाहट) से न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

18/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

18/6/26

(vi) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने **से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर** तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित **क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र** का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं **खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया** जायेगा।

(vii) परियोजना **प्रस्तावक** द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ **माँ** के नाम के **अंतर्गत** प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर **के** हिस्से **में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारो**पण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने **हेतु** जिला **कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02** वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी **वन** विभाग **को हो) को** अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति **की शर्त** अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला **कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम** से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय स्कूल में जिला कलेक्टर्स से परामर्श कर आवश्यकतानुसार सामग्री अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना **प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

(सुधीर कुमार कोचर)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

9. **Proposal No. SIA/MP/MIN/536873/2025, Case No. 6847/2020Prior Environment Clearance for Stone Quarry, in an area of 1.1910 Ha., For production Capacity of 10,000 Cub meters/year, at khsara No. 319, 320, Village - Banka, Tehsil - Chandia, District – Umariya (M.P.) by Shri Veerendra Dwivedi, Partner, M/s JVI Stone Crusher, Gram Banka, Tehsil- Chandia, District Umariya (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 882वी बैठक दिनांक 08.04.2026 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :–

" ..... Committee decided that on the request of PP, case may be considered for withdrawl, and not recommended for grant of EC .."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC की 882वी बैठक दिनांक 08.04.2026 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

18/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

18/6/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

10. **Proposal No. SIA/MP/MIN/561588/2026, Case No. P2/2378/2026Prior Environment Clearance for Murrum Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.33 Ha., For production capacity of 5000 cum/year, at Khasra – 287/1/1/1, Village - Kuwa Tehsil - Thikri District - Barwani (M.P) by Shri Kailash Patidar, Owner, H No.223, VillageKuwa, Tehsil-Thikri, District-Barwani M.P.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **883वी बैठक दिनांक 10.04.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 883वी बैठक दिनांक 10.04.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुषंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी द्वारा आदेष क्र. 1434 दिनांक 26.08.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 25.08.2035 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त ख़दान की जानकारी (अक्षांष देषांष सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत खसरा पंचषाला अनुसार शासकीय भूमि होकर खसरा पंचशाला के कॉलम 12 में तालाब दर्ज है। अतः खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला कलेक्टर से यह अनिवार्य रूप से सत्यापित करवाया जावेगा कि लीज पर प्रदत्त प्रश्नाधीन भूमि शासकीय तालाब के रूप में उपयोग में है अथवा नहीं। लीज भूमि पर तालाब होने की स्थिति में पर्यावरण स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

18/6/26	18/6/26	
(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vi) परियोजना **प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।**

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय स्कूल में जिला कलेक्टर्स से परामर्श कर आवश्यकतानुसार सामग्री अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

18/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

18/6/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

11. Proposal No. SIA/MP/MIN/568149/2026Case No. P2/1195/2026 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.90 ha., For Producation Capacity of Gitti -10000 Cubic Meter Per Year & M-Sand - 80000 Cubic Meter Per Year, at Khasra No. - 97/1, 97/2, Village- Neem Kheda Tehsil- Nowgong District Chhatarpur (M.P.) by Shri Yogesh Singh, Additional Director, Kayden Mines And Minerals Private Limited, H. No. 265, Defense Colony, Hisar, Haryana, 125001

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **883वी बैठक दिनांक 10.04.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 883वी बैठक दिनांक 10.04.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर द्वारा आदेश क्र. 213 दिनांक 08. 02.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 07.02.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **आबादी (मानब बसाहट) से न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संकिया आरंभ करने के पूर्व खदान क्षेत्र में मौजूद 25 वृक्षों में से काटे जाने वाले 10 वृक्षों एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत 100 पौधों का रोपण किया जायेगा व संरक्षण हेतु ट्री गार्ड लगाये जाये। उक्त काटे जाने वाले वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत ही काटा जायेगा एवं वृक्षों के काटने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय WP no. 17144/2024 एवं WP no. 42565 /2025 में पारित आदेश का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(vii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

18/6/26 18/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(xi) परियोजना **प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।**

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय स्कूल में जिला कलेक्टर्स से परामर्श कर आवश्यकतानुसार सामग्री अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना **प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

18/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

18/6/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

12. Proposal No. SIA/MP/MIN/564909/2026, Case No.– P2/2379/2026 Prior Environmental Clearance for Murram Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 hectare, for production capacity of 10,000 m3/year, at Khasra No. - 51, Village - Mehdawali, Tehsil - Shivpuri, District - Shivpuri (M.P.) by Smt. Mana Adiwasi W/o Shri Sirdar Adiwasi, Lessee, R/o-Village- Mudkheda, Dholagarh, Tehsil & District-Shivpuri (M.P.)- 473551

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **883वी बैठक दिनांक 10.04.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण **द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया** परीक्षण में **निम्नानुसार पाया गया :–**

1. प्रश्नाधीन प्रकरण में गूगल ईमेज अनुसार लीज क्षेत्र से 240 मीटर की दूरी पर एक तालाब परिलक्षित है जिसके संबंध परियोजना प्रस्तावक द्वारा वाटर बॉडी पर पर्यावरण संवदेनशीलता के दृष्टिगत क्या प्रभाव पड़ेगा तथा वाटर बाडी की फिजिको केमिकल एवं बायोलॉजिकल का विस्तृत विवरण भी पीएफआर में नहीं दिया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत वाटर बॉडी की फिजिको केमिकल एवं बायोलॉजिकल रिपोर्ट प्राप्त किये जाने हेतु प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

18/6/26 — 18/6/26

(सुधीर कुमार कोचर) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

13. Proposal No. SIA/MP/MIN/568104/2025 Case No. – P2/2380/2026 Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 4.00 hectares, for production capacity of 50,000 cubic meter per year, at Khasra No. 1063/1/1, Village Dinara, Tehsil Karera, District Shivpuri (M.P.) by Shri Neeraj Yadav, Partner, M/s Balaji Sone Crusher, R/o-Village-Chandavra Road Dinara, Tehsil-Karera, District-Shivpuri, (M.P.)- 473665

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **883वी बैठक** दिनांक **10.04.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. प्रश्नाधीन प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड क्म्।। म्ब की कम्पलाईन्स रिपोर्ट में संलग्न किये गये जीयोटेग फोटोग्राफ स्पष्ट नहीं है एवं उसके अक्षांश देशांश पढ़ने योग्य नहीं है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक द्वारा कम्प्लाईन्स रिपोर्ट के साथ संलग्न सभी फोटोग्राफ की क्लियर कॉपी पढ़ने योग्य मय कम्प्लाईस रिपोर्ट के साथ 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड करें। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

18/6/26	18/6/26	
(सुधीर कुमार कोचर)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

14. Proposal No. SIA/MP/MIN/534275/2025, Case No P2/1778/2025 Prior Environment Clearance for Dolomite Mine (opencast semi mechanized method), in an area of 1.720 ha. For Producation Capacity of -50,000 TPA at Khasra No. 152 Village: Bawli, Tehsil: Kurai, District: Seoni (M.P.) by Shri Nirmala Thakur, R/o Shastri Ward Barapathar, District Seoni (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **868वी बैठक दिनांक 10.02.2026 एवं 747वी बैठक दिनांक 02.05.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 946वी बैठक दिनांक 17.04.2026 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" .....राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत पाया गया कि उक्त प्रकरण में प्रथम लीज दिनांक 22.12.1995 से 21.12.2015 तक स्वीकृत थी जिसे कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी द्वारा पत्र क्र. 2666 दिनांक 03.03.2017 के माध्यम से 50 वर्ष दिनांक 21.12.2045 तक की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी शर्त कमांक 1 में नवीन लीज अनुबंध करवाये जाने की शर्त अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण लीज नवीनीकरण है। अतः प्राधिकरण के पूर्व निर्णयानुसार वन क्षेत्र 250 मीटर की परिधि के अंदर होने के कारण संभागीय आयुक्त की अनुशंसा 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परयोनजा प्रस्तावक को सूचित किया जाये।'

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 04.05.2026 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ADS Reply को स्वीकार करते हुए, SEAC की 868वी बैठक दिनांक 10.02.2026 एवं 747वी बैठक दिनांक 02.05.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी द्वारा आदेश क्र. 679 दिनांक 01.11.2023 के माध्यम से दिनांक 01.02.2046 तक की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 01.02.2046 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन सीमा क्षेत्र की ओर निर्धारित दूरी छोड़ते हुए वन मंडल अधिकारी के निर्देशन में चेनलिंग फेसिंग एवं ट्रेंचिंग कार्य करेगा एवं वन सीमा की ओर सघन वृक्षारोपण करेगा तथा वन भूमि के अंदर मलबा नही डालेगा।

18/6/26 18/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(vi) परियोजना प्रस्तावक खनन **कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर** तक "नो माईनिंग जोन" के **रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(vii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।**

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय स्कूल में जिला कलेक्टर्स से परामर्श कर आवश्यकतानुसार सामग्री अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावेगी।

18/6/26 18/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।

- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

18/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव
18/6/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

15. Proposal No. SIA/MP/MIN/569662/2026, Case No. P2/1096/2025 Prior Environment Clearance for Stone Mine (opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 ha., For Producation Capacity of Gitti- 3000 Cubic Meter Per Year, M-sand-50000 Cubic Meter Per Year & Boulder-5000 Cubic Meter Per Year, at Khasra No. 129/5, Village-Srinagar Bhata Tehsil- Tikamgarh District-Tikamgarh (M.P.) by Shri Devendra Kumar Jain, Lease Owner, R/oHimanchal Gali, Tikamgarh, District-Tikamgarh, (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **885वी बैठक दिनांक 17.04.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 885वी बैठक दिनांक 17.04.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश क्र. 14110 दिनांक 26.12.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 25.12.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।**

18/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

18/6/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(v) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करनें से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

18/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

18/6/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(ix) परियोजना **प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ** के नाम के **अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना** के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर **के** हिस्से **में उपयुक्त प्रजातियों के** वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने **हेतु** जिला **कलेक्टर द्वारा जिला स्तर** पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी **वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।**

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय स्कूल में जिला कलेक्टर्स से परामर्श कर आवश्यकतानुसार सामग्री अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक **व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

18/6/26 18/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष